न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 400/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– अणदाराम पुत्र स्व0 रावतराम 2– केवलराम पुत्र स्व0 रावतराम जाति माली निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूनी जिला जोधपुर		1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूनी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा आदेश कमांक/...../2018 दिनांक 19–2–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30–12–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार तहसीलदार लूनी ने केम्प सालावास मे दिनांक 24–5–2017 को रास्ते सम्बन्धी समस्याओ के निराकरण अभियान 2016 के तहत राजकीय भूमि/ निजी खातेदारी की भूमि पर स्थायी रूप से चालू परंतु राजस्व नक्शे मे रेखा बिन्दुओ से दर्ज सार्वजनिक रास्ते की भूमि का विवरण पेश कर वर्तमान मे चल रहे मौके पर रास्ता, सडक, ग्रेवल सडक आदि को गै.मु.रास्ते मे दर्ज करने के प्रस्ताव सारणीनुमा तैयार कर उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष प्रस्तुत किया । जिस प्रस्ताव पर तहसीलदार से विभागीय स्वीकृति की प्रति मंगाने बाबत नोट दिनांक 24–5–2017 को केम्प सालावास मे लगाया गया । तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी ने अपने आदेश दिनांक 19–2–2018 के द्वारा तहसीलदार लूनी द्वारा प्रस्तावित सालावास स्थित आदेश मे वर्णित रास्तो के संबंध मे प्रार्थना पत्र (प्रस्ताव) को स्वीकार करते हुए खातेदारान के मूल रकबे मे से सारणी के कॉलम 7 मे वर्णित भूमि का रकबा गै0मु0रास्ते के रूप मे दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये तथा इसके माफिक राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज के आदेश भी पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खातेदारान को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर ही प्रदान नही किया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की सारणी मे कम संख्या

17 एवं 22 मे वर्णित क्रमशः खसरा नंबरान 117 एवं 141 की भूमि अपीलांटगण के खातेदारी की है, जिसमे से किसी खातेदार ने रास्ते की मांग बाबत कोई आवेदन पेश नही किया था फिर भी तहसीलदार लूनी ने मनमर्जी से प्रकरण बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तथा उस पर किसी भी खातेदार की सहमति बाबत कोई हस्ताक्षर या अंगुठा नही होते हुए अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि मे से गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए अपीलांटगण के खातेदारी का रकबा कम कर दिया जो विधि एवं न्यायसंगत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र की ऐसी कोई मंशा नही है और उक्त परिपत्र मे दिये गये निर्देशो को ठीक से समझे बिना तहसीलदार ने जो कार्यवाही की है, वह विधिसम्मत नही है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त परिपत्र केवल सार्वजनिक रास्तो के संबंध मे था जिसमे ऐसे सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर चालू है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, तो ऐसे मामलो मे प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश थे । परंतु वर्तमान मामले मे राज्य सरकार के परिपत्र को ठीक से समझे बिना एवं उसकी पालना किये बिना ही तहसीलदार लूनी ने जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौका जांच करवाये या पक्षकारान/खातेदारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रास्ते के संबंध मे पृथक से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 मे प्रावधान दिये हुए है परंतु राज्य सरकार का उक्त परिपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना को नष्ट करने वाला एवं विध्वंसकारी है तथा ऐसे प्रशासनिक स्तर पर जारी किये गये परिपत्र से खातेदार को उसके अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के खातेदारी के खसरा नंबरान के संबंध मे पारित आदेश निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांटगण के खसरा नंबरान 117 व 141 मे से गै0मु0रास्ता स्थापित करने का आदेश दिया गया है जबकि इस भूमि मे कोई रास्ता चलता ही नही है बल्कि खसरा नंबर 141 के चिपते हुए खसरा नंबर 126 की भूमि मे से रास्ता चलता है तथा खसरा नंबर 141 व 126 के बीच कोई माठ बनी हुई नही है इसलिए बिना पैमाईश के यह तय नही हो सकता कि रास्ता किस खसरा नंबर मे से निकल रहा है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने सीधे ही अपीलांट के खसरा नंबर 141 की भूमि मे से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया इससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी ने मौके की कोई रिपोर्ट ही नही मंगवाई और न ही पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण के खसरा नंबरान 117 व 141 के संबंध मे पहले से ही उपखण्ड अधिकारी लूनी के न्यायालय मे अलग अलग वाद विचाराधीन है, जिनमे मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश

पारित किये हुए है तथा जमाबंदी मे भी इसका नोट अंकित किया हुआ होने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन आदेश बिना राजस्व रेकर्ड की जांच के ही पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी ने तहसीलदार के प्रस्ताव पर न तो कोई प्रकरण दर्ज कर पत्रावली का संधारण किया गया और न ही संबंधित खातेदारो का कोइ नोटिस ही जारी किये, मात्र तहसीलदार की सहमति दर्ज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि तहसीलदार की इस मामले मे सहमति कोई एहमियत नही रखती है बल्कि सहमति केवल खातेदार की होनी चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र का गलत एवं मनमाना अर्थ निकालते हुए अपीलांट की भूमि को टुकडो मे विभाजित कर दिया है जिन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नही था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–2–2018 जो अपीलांट के खातेदारी गांव सालावास के खसरा नंबर 117 व 141 के संबंध मे पारित किया गया है, उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत ऐसे रास्ते जो मौके पर कदीमी से चालू है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे रास्ते के रूप मे इन्द्राज नही है, को चिन्हित कर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाने के निर्देश होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लूनी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–2–2018 का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी ने तहसीलदार के प्रस्ताव पर न तो कोई प्रकरण दर्ज कर पत्रावली का संधारण किया और न ही अपीलाधीन आदेश मे वर्णित खसरा नंबरान के संबंधित खातेदारो को कोई नोटिस ही जारी किये, मात्र तहसीलदार की सहमति दर्ज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो प्रथमदृष्टियां समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

वर्तमान अपील मे अपीलांटगण का मुख्य कथन यह है कि ग्राम सालावास स्थित अपीलांटगण के खातेदारी के खसरा नंबरान 117 व 141 मे से कोई रास्ता चलता ही नही है बल्कि खसरा नंबर 141 के चिपते हुए खसरा नंबर 126 की भूमि मे से रास्ता चलता है तथा खसरा नंबर 141 व 126 के बीच कोई माठ बनी हुई नही है इसलिए बिना पैमाईश के यह तय नही हो सकता कि रास्ता किस खसरा नंबर मे से निकल रहा है

परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच करवाकर मौका रिपोर्ट तलब किये बिना सीधे ही अपीलांट के खसरा नंबर 141 की भूमि मे से गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लूनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मे किसी भी खातेदार की सहमति बाबत कोई हस्ताक्षर या अंगुठा निशान नही है मात्र तहसीलदार लूनी की सहमति अंकित है ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ...../2018 मे पारित निर्णय दिनांक 19–2–2018 मे से अपीलांट की सालावास स्थित खातेदारी के खसरा नंबर 117 एवं 141 मे से गै0मु0रास्ते के रूप मे प्रस्तावित रकबा क्रमशः 2.01 बीघा एवं 3.11 बीघा भूमि के संबंध मे पारित किये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लूनी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटगण की उपस्थिति मे उसके सालावास स्थित खातेदारी के खेत खसरा नंबरान 117 एवं 141 मौका निरीक्षण करे तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड का भी अवलोकन कर उन्हे सुनकर उसके खातेदारी के खसरा नंबर 117 व 141 मे से यदि कोई रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है तो उसे बंद किये बिना उसका पृथक से प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी को प्रेषित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 30–12–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर